न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री सर्वेश्वर निम्बार्क, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :–81 / 2025

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. बालाराम पुत्र अजाराम जाति मेघवाल निवासी सणपा फांटा भोमजी तहसील सिणधरी जिला बाालोतरा हाल निवासी चवा तहसील व जिला बालोतरा		1. तहसीलदार सिणधरी 2. अणसी पुत्री गिरधारीराम 3. अणसी पुत्री वगताराम 4. अमराराम पुत्र गिरधारीराम 5. आम्बाराम पुत्र हराराम 6. कंवराराम पुत्र गिरधारीराम 7. केसी देवी पत्नि हराराम 8. गंगाराम पुत्र गिरधारीराम 9. गेनीदेवी पुत्री गोरधनराम 10. गोमाराम पुत्र देराजराम 11. चतरूदेवी पत्नि गोरधनराम 12. चतरूदेवी पत्नि खुशालाराम 13. चेनाराम पुत्र कोहलाराम 14. जेती पत्नि अजाराम 15. डालुराम पुत्र हराराम 16. तेजाराम पुत्र गोरधनराम 17. तेजाराम पुत्र गिरधारीराम 18. देवाराम पुत्र हराराम 19. देवी पुत्री हराराम 20. धनाराम पुत्र नगाराम 21. धारूराम पुत्र खुशालाराम 22. निम्बाराम पुत्र अजाराम 23. नोजीदेवी पुत्री गोरधनराम 24. पुराराम पुत्र गोरधनराम 25. बबरीदेवी पत्नि वगताराम 26. बालाराम पुत्र खुशालाराम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

27. मुकेशकुमार पुत्र हराराम

28. मनोज पुत्र हराराम

29. राजोदेवी पत्नि गिरधारीराम

30. रामाराम पुत्र चेतनराम

31. रामाराम पुत्र खुशालाराम

32. रिड़मलराम पुत्र हराराम

33. वालाराम पुत्र अजाराम

34. विशनाराम पुत्र वगताराम

35. वीरमाराम पुत्र अजाराम

36. शंकराराम पुत्र गिरधारीराम

37. सुकी पुत्री गिरधारीराम

38. हुकमाराम पुत्र चेतनराम

हेमी पत्नि चेतनराम जातियान–मेघवाल,

निवासीयान–सणपा फांटा भोमजी

तहसील–सिणधरी, जिला–बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1.श्री गोपाल कोडेचा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2 विप्रार्थी सं. 1 के पैरोकार सरकार उप.। शेष उकतरफा।

आदेश

दिनांक– 27.03.2026

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा सणपा फांटा भोमजी पटवार हल्का सणपा मानजी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 218, रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु. ढाणी व खसरा संख्या 219 रकबा 5.5497 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की अवस्थित है। कि प्रार्थी का वास्तविक नाम बालाराम पुत्र अजाराम के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में भूलवंश से प्रार्थी का गलत नाम वालाराम पुत्र अजाराम दर्ज कर दिया गया है जो गलत नाम दर्ज हो रखा है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित भूमि में अपने गलत नाम के स्थान पर सही नाम बालाराम पुत्र अजाराम दुरुस्त करवानें हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्र्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 1 के पैरोकार सरकार उपस्थित। शेष विप्रार्थीगण बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए कथन किया मौजा सणपा फांटा भोमजी पटवार हल्का सणपा मानजी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 218, रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु. ढाणी व खसरा संख्या 219 रकबा 5.5497 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की भूमि अवस्थित है, उक्त भूमि में प्रार्थी का वास्तविक नाम बालाराम पुत्र अजाराम के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में भूलवंश से प्रार्थी का गलत नाम वालाराम पुत्र अजाराम दर्ज कर दिया गया है जो गलत नाम दर्ज हो रखा है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम सणपा फांटा भोमजी पटवार हल्का सणपा मानजी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 218, रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु. ढाणी व खसरा संख्या 219 रकबा 5.5497 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की भूमि में भूलवंश वालाराम पुत्र अजाराम की दुरूस्ती की जाकर वास्तविक नाम बालाराम पुत्र अजाराम किये जाने का आदेश फरमावें।

हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात व जवाब का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मौजा सणपा फांटा भोमजी पटवार हल्का सणपा मानजी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 218, रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु. ढाणी व खसरा संख्या 219 रकबा 5.5497 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि प्रार्थी को विरासत में प्राप्त हुई है अर्थात् प्रार्थी के पिता अजाराम के निधन होने पर बतौर विधिक वारिस प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई कि प्रार्थी का वास्तविक नाम बालाराम पुत्र अजाराम के स्थान पर भूमि के राजस्व रेकर्ड में भूलवंश से वालाराम पुत्र अजाराम दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थी का वास्तविक नाम **बालाराम पुत्र अजाराम** है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के गलत नाम इन्द्राज की प्रविष्टि तत्कालीन हल्का पटवारी की गलती से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है, जिसका प्रार्थी दोषी नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी सही नाम **बालाराम पुत्र अजाराम** करवानें का हकदार है। एवं पत्रावली के सलंग्न सरकारी दस्तावेजात यथा–आधार कार्ड प्रति, वोटरकार्ड प्रति, पैन कार्ड बैंक डायरी की प्रति में प्रार्थी का नाम **बालाराम पुत्र अजाराम** अंकित है, एवं विवादित भूमि के सहखातेदार विप्रार्थी संख्या 2 से 39 की ओर से कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होने से

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

जाहिर होता है कि इस बाबत उन्हें कोई उजर–ऐतराज नहीं है तथा प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने हेतु विप्रार्थी की पूर्ण सहमति है। उपरोक्त विवेचन से साबित होता है,कि प्रार्थी का विवादित भूमि में गलत नाम इन्द्राज हो रखा है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम **बालाराम पुत्र अजाराम** है जो कि दुरूस्ती करवानें के योग्य है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा सणपा फांटा भोमजी पटवार हल्का सणपा मानजी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 218, रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु. ढाणी व खसरा संख्या 219 रकबा 5.5497 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम **भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि वालाराम पुत्र अजाराम के स्थान पर बालाराम पुत्र अजाराम दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते** है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आदेश आज दिनांक 27.03.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी